राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3312/2025

गोपाल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.07.2025
आदेश की दिनांक : 18.07.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री इमरान खान, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 1.7.2025 आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2024–25 के लिए पीटीआई ग्रेड–III के पद से पीटीआई ग्रेड II के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार किया गया था। वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 90 पर 452 वरिष्ठता के साथ दर्शाया गया है। अपीलार्थी के अलावा अन्य व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है उसे क्रम संख्या 47 पर वरिष्ठता 376 के साथ दर्शाया गया है और कैलाश चंद्र शर्मा को सीरियल नंबर 48 पर वरिष्ठता 377 के साथ दर्शाया गया है जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है लेकिन अपीलार्थी की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने कैलाश को जूनियर के रूप में पदोन्नत किया है। उपर्युक्त की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अपीलकर्ता के समान है अर्थात दिनांक 1.7.1996। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 29.6.2025 को जारी अनुसूची के अनुसार और दिनांक 1.7.2025 की अंतिम सूची के अनुसरण में, प्रत्यर्थी विभाग की 11.7.2025 से 13.7.2025 तक काउंसलिंग आयोजित की जा रही है, जिससे अपीलार्थी को पदोन्नति पद के लिए अपना विकल्प भरने से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि अपीलार्थी से ऊपर कनिष्ठ व्यक्ति का नाम रखा गया है। (अनुलगनक–1,2 व 3) दिनांक 15.5.1995 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को प्रारंभ में पीटीआई ग्रेड–III के पद पर नियुक्त किया गया था। (अनुलग्नक–4व 5) दिनांक 3.7.2023 को प्रतिवादी सं. 4 ने अपीलार्थी की रिक्ति वर्ष 2022–2024 के लिए अनंतिम वरिष्ठता सूची में सही प्रविष्टियों के लिए विवरण भेजा है और प्रतिवादी सं. 3 को सिफारिश की है कि वह अपीलार्थी की आपत्ति पर सही

नियुक्ति करने के उद्देश्य से अपीलार्थी की सही प्रविष्टियां करने का निर्देश दे और उसके बाद दिनांक 18.11.2024 को पुनः प्रतिवादी सं. ने अपीलार्थी की रिक्ति वर्ष 2024–2025 के लिए अनंतिम वरिष्ठता सूची में सही प्रविष्टियों के लिए विवरण भेजा है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस कारण से अपीलार्थी की वरिष्ठता सह योग्यता कैलाश चंद्र शर्मा नामक कनिष्ठ व्यक्ति से नीचे कर दी गई है। (अनुलग्नक–6 व 7) प्रत्यर्थी संख्या 4 ने पुनः दिनांक 30.6.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 3 को पत्र भेजकर कनिष्ठ व्यक्ति को ऊपर उचित स्थान पर वरिष्ठता प्रदान करने हेतु सुधार हेतु निर्देश मांगे, परन्तु उच्च प्राधिकारियों द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिनांक 1.7.2025 को अंतिम सूची जारी की है जिसके द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता कनिष्ठ व्यक्ति तक कम कर दी गई है। अपीलार्थी ने दिनांक 07.07.2025 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज तक उस पर विचार नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि दिनांक 1.7.2024 के आदेश को अंतिम चयन क्रम में वरिष्ठता के अनुसार अपीलार्थी को धर्मेंद्र कुमार शर्मा के बाद मेरिट क्रम संख्या 376 और कैलाश चंद्र शर्मा के बाद क्रम संख्या 377 पर रखकर संशोधित किया जावे और आगे प्रतिवादियों को वरिष्ठता सूची/अंतिम क्रम के अनुसार काउंसलिंग के लिए बुलाया जावे तथा अपीलार्थी का नाम उसकी श्रेणी में पीटीआई ग्रेड–II के कनिष्ठ व्यक्ति के पद से ऊपर रखा जाकर साथ ही प्रतिवादियों को पदोन्नति प्रदान करने का निर्देश/आदेश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के

नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष